बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

विज्ञापन

बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग के अधीन नियमित नियुक्ति होने तक रिक्तियों को भरने के निमित अंतरिम व्यवस्था के तहत आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन का प्रकाशन ।

ग्रामीण विकास विभाग में गरीबी उन्मूलन के तहत नये कार्यक्रमों के सृजन एवं उनके प्रभावकारी कार्यान्वयन के आलोक में पदाधिकारियों का सम्वर्ग विकसित करने के उद्देश्य से विभागीय अधिसूचना सं.-447 दिनांक 19.01.2010 द्वारा बिहार ग्रामीण विकास सेवा का गठन किया गया है। जिसके अन्तर्गत ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक अंतरिम व्यवस्था के तहत प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के रिक्त पदों को भरने हेतु बिहार सरकार के निम्नलिखित विभाग के सामने अंकित पदाधिकारियों से आवेदन पत्र विहित पत्र में आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्रम सं.	विभाग का नाम	पदनाम
1.	ग्रामीण विकास विभाग	प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य)
		महिला प्रसार पदाधिकारी
2.	पंचायती राज विभाग	पंचायत पर्यवेक्षक
3.	अनु.जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग	प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी (कल्याण पर्यवेक्षक)
4.	सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय (योजना एवं विकास विभाग)	सांख्यिकी पर्यवेक्षक
5.	श्रम संसाधन विभाग	श्रम निरीक्षक
6.	सहकारिता विभाग	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी
7.	कृषि विभाग	प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु निम्नलिखित शर्त्त निर्धारित की गयी है:-

योग्यता-

- संबंधित पदाधिकारी कम से कम स्नातक या समकक्ष योग्यताधारी हों।
- संबंधित पदाधिकारी कम से कम अपुनरीक्षित वेतनमान 5000-8000 एवं पुनरीक्षित वेतनमान 9300-34800 (पी0बी0-2) ग्रेड वेतन रू0 4200 में कार्यरत हों।

अनुभव-

- दिनांक 01.01.2010 को सरकारी सेवा में कम से कम 10 (दस) वर्षो का अनुभव हो।
- दिनांक 01.01.2010 को कम से कम 5 (पांच) वर्षो का पर्यवेक्षकीय कार्य का अनुभव हो।

उम्र-

- पदाधिकारी की उम्र 01.01.2010 को 52 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अन्य शर्तें-

- यह प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति अधिकतम 3 वर्षो के लिए ही होगी।
- नियमित नियुक्ति होने पर यह प्रतिनियुक्ति स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- चयनित पदाधिकारी अपने वेतनमान में ही कार्य करेंगे। नियमानुसार उन्हें प्रतिनियुक्ति भत्ता देय होगा।
- प्रतिनियुक्ति पर कार्यावधि की समाप्ति के उपरांत ऐसे पदाधिकारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे।
- सेवा असंतोषप्रद पाये जाने पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किसी भी समय पदाधिकारी की सेवाएँ वापस की जा सकेगी।

चयन प्रक्रिया-

- पदाधिकारियों का पदस्थापन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयार किये गये पैनल के आधार पर किया जायेगा।

आवेदन देने की प्रक्रिया-

- आवेदन ग्रामीण विकास विभाग के बेबसाईट http://rdd.bih.nic.in\ के माध्यम से ऑनलाईन भरा जाना है। आवदेन भरने के लिए पहले अभ्यर्थी उक्त वेबसाईट पर रजिस्टर कर लें । इसके लिए अपने यूजर आई0डी0 तथा पासवर्ड देकर आवेदन प्रपत्र को भरें । आवेदन प्रपत्र भरने के पश्चात् इसे प्रिन्ट के माध्यम से प्राप्त कर लें । प्रिन्टेड प्रति को अपने नियंत्री पदाधिकारी/ विभाग के माध्यम से अग्रसारित करते हुए सुश्री नीलम गुप्ता, उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, पुराना सचिवालय, पटना- 800015 को भेजें ।
- पत्र विहित प्रपत्र में नियंत्री पदाधिकारी/ विभाग के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। (आवेदन पत्र का विहित प्रपत्र संलग्न)
- आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि- 20/02/2010 है।

3/2/2010

उप सचिव
ग्रामीण विकास विभाग

C:\Users\DELL\Desktop\28.01.2010\विज्ञापन.doc